राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 825/2018

अपीलार्थी **बनाम** **प्रत्यर्थी**

राजेन्द्र सिंह पंवार
डी-78, शिवहीरा पथ, चौमू हाउस,,
Jaipur ,Rajasthan

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
मुख्य महा प्रबन्धक
राज0 स्टेट हैण्डलूम डवलपमेन्ट
कारर्पोरेशन लि0 चौमू हाउस
Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 20/03/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री नायाब खान, उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 22-8-17 के द्वारा निगम की स्थापना से सूचना के आवेदन के दिनांक तक प्रत्यर्थी कार्यालय में नियुक्त किये गये अधिकारियों, उनकी पदोन्नति एवं विभाग में किये गये कार्यों आदि के सम्बन्ध में 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 8-11-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर दिनांक 26-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है। निवेदन किया कि चाही गई सूचना अतिवृहद सूचना है एवं प्रत्यर्थी कार्यालय में स्टाफ सिर्फ 6 प्रतिशत रह गया है, अतः अपीलार्थी को संसूचित कर दिया गया था कि वह कार्यालय में आकर रिकॉर्ड का अवलोकन करलें। पत्र दिनांक 20-9-17 से अपीलार्थी को वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना प्रेषित कर दी गई थी। अपीलार्थी द्वारा भी पत्र दिनांक 12-3-18 प्रस्तुत कर प्राप्त सूचना की पावती प्रस्तुत की गई है एवं सूचना से संतुष्ट होना अंकित किया है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 26-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित है से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना/विनिश्चय एवं प्रथम अपीलीय निर्णय विधिसंगत है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त